लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 176वीं बैठक दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 का कार्यवृत्त

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की **176वीं बैठक, बोर्ड अध्यक्ष डा0 रोशन जैकब, आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ** की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः–

उपस्थितिः–

01.	**श्री सूर्यपाल गंगवार**	जिलाधिकारी, लखनऊ।
02.	**डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी**	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
03.	**श्री अभय पाण्डेय**	अपर नगर आयुक्त, प्रतिनिधि–नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
04.	**श्री पार्थ प्रीतम मल्लिक,**	लेखाधिकारी, ए0डी0 पेंशन, प्रतिनिधि–अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
05.	**श्री कमलेश प्रसाद त्रिपाठी**	अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि–आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
06.	**सुश्री रेखा श्रीवास्तव**	सहायक आयुक्त–उद्योग, प्रतिनिधि–संयुक्त आयुक्त–उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
07.	**श्री विशाल भारती**	सहयुक्त नियोजक प्रतिनिधि–मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग।
08.	**श्री दिपांकर चौधरी**	पर्यटन अधिकारी, लखनऊ, प्रतिनिधि–महानिदेशक, पर्यटन, लखनऊ।
09.	**श्री पी0एन0 सिंह**	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
10.	**श्री पुष्कर शुक्ला**	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
11.	**श्री राम कृष्ण यादव**	पार्षद/सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
12.	**श्री राघवराम तिवारी**	पार्षद/सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
13.	**श्री संजय सिंह राठौर**	पार्षद/सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।.

अन्य उपस्थितिः–

14.	**श्री पवन कुमार गंगवार**	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
15.	**श्री ज्ञानेन्द्र वर्मा**	अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
16.	**श्री दीपक सिंह**	वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
17.	**श्री अवधेश तिवारी**	मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
18.	**श्री अमित राठौर**	विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
19.	**श्री ए0के0 सिंह**	अधीक्षण अभियन्ता (वि/यां0), लखनऊ विकास प्राधिकरण।
20	**श्री देवांश त्रिवेदी**	विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

सर्वप्रथम् उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का औपचारिक स्वागत किया गया। तदुपरान्त बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न विषयों/मदों पर निम्नवत् निर्णय लिया गयाः–

मद सं0	विषय	निर्णय
176/1	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 27.09.2022 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
176/2	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 175वीं बैठक दिनांक 27.09.2022 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया एवं निम्नलिखित बिन्दु पर निर्देश दिये गयेः– • विषय संख्या–21 के आलोक में बोर्ड के जनप्रतिनिधि सदस्यों के सुझाव के क्रम में बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि पूर्व के निबन्धित पात्र आवंटियों को गत 175वीं

		बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार समायोजित किये जाने के समय अन्य लाभ यथा–ब्याज, फ्लैट की दर निर्धारण आदि दिये जाने के सम्बन्ध में परीक्षण कर सुविचारित प्रस्ताव आगामी बैठक में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।
176/3	उ0प्र0 ट्रांजिट ओरिएण्टेड डेवलपमेन्ट नीति, 2022 के अनुपालन में टी0ओ0डी0 जोन्स की सीमाओं के वास्तविक/भौतिक परिस्थितियों के अनुरूप परिसीमन/सीमांकन के अनुसार लखनऊ महायोजना –2031 (संशोधित कन्वर्जन प्रारूप) पर टी0ओ0डी0 जोन से सम्बन्धित आपत्ति/सुझाव जनसामान्य से आमंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
176/4	लखनऊ–सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में स्थित ग्राम– बक्कास, माढ़रमऊ कला, माढरमऊ खुर्द, मस्तेमऊ, मलूकपुर ढकवा, चौरासी, चौरहिया, दुलामऊ की भूमि एवं अंसल ए0पी0आई0 द्वारा छोड़ी गई भूमि एवं लखनऊ महायोजना 2031 के अन्तर्गत आने वाले किसान पथ/आउटर रिंग रोड के दोनों तरफ 500 मीटर की दूरी तक सुनियोजित विकास हेतु आवास एवं विकास परिषद द्वारा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही किये जाने विषयक।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
176/5	गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत गोमती नदी के दायें तटबन्ध पर अमर शहीद पथ से ग्राम–अरदौनामऊ की सरहद तक बंधे एवं इकाना स्टेडियम के उत्तरी दिशा में 45 मी0 रोड के निर्माण की योजना हेतु हितबद्ध कास्तकारों से आपसी सहमति के आधार पर भूमि क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
176/6	ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के संरेखण में आने वाली रक्षा विभाग की भूमि लाइसेन्स पर लिये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
176/7	ग्रीन कॉरीडोर परियोजना हेतु वित्त पोषण के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
176/8	लखनऊ विकास प्राधिकरण की मोहान रोड आवासीय योजना को विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण की मोहान रोड आवासीय योजना को विकसित किये जाने हेतु पूर्व में चयनित वास्तुविद् मेसर्स मुरालेज से पुरानी दरों पर एवं पूर्व के अनुबन्ध की नियम एवं शर्तों के अनुसार ही योजना के विकास हेतु पूर्व अनुबन्ध को

<table>
<tr><td></td><td></td><td>पुर्नजीवित किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।</td></tr>
<tr><td>176/9</td><td>लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण/ विकास कार्यों हेतु टू–बिड पद्धति पर आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं के तकनीकी परीक्षण बिन्दुओं को लोक निर्माण विभाग के टू–बिड पद्धति पर निविदाओं हेतु माडल बिडिंग डाक्यूमेंट के प्रविधानों के अनुरूप किये जाने के सम्बन्ध में।</td><td>प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्माण/विकास कार्यों हेतु टू–बिड पद्धति पर आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं के तकनीकी परीक्षण बिन्दुओं को लोक निर्माण विभाग के टू–बिड पद्धति पर निविदाओं हेतु मॉडल बिडिंग डाक्यूमेंट के प्रविधानों के अनुरूप किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। साथ ही भविष्य में लोक निर्माण विभाग द्वारा समय– समय पर निर्गत सर्कुलर/शासनोदशों के अनुसार प्राधिकरण की आवश्यकतानुसार संशोधन (Customised) करते हुए लागू किये जाने हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया। इसके अतिरिक्त आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा वर्क मैनुअल तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, अतः प्राधिकरण बोर्ड द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि वर्क मैनुअल लागू होने पर उसके नियम/विनियम यथावत् लागू होंगे तथा शासन द्वारा जारी उ0प्र0 विकास प्राधिकरण वित्त एवं लेखा मैनुअल 2004 के प्राविधान भी यथावत् लागू होंगे।</td></tr>
<tr><td>176/10</td><td>मा0 राष्ट्रपति भारत गणराज्य/मा0 उप राष्ट्रपति भारत गणराज्य एवं मा0 प्रधानमंत्री, भारत सरकार के विभिन्न तिथियों को उत्तर प्रदेश लखनऊ आगमन पर एयरपोर्ट पर उपलब्ध कराये गये स्नैक्स, फूल आदि में किये गये व्यय से सम्बन्धित बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में।</td><td>सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।</td></tr>
<tr><td>176/11</td><td>वित्तीय वर्ष 2022–23 के पुनरीक्षित आय–व्ययक की स्वीकृति के सम्बन्ध में।</td><td>प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सम्यक् वित्तीय वर्ष 2022–23 में निम्नलिखित मदों में पुनरीक्षित आय–व्ययक की स्वीकृति विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया:–
<table>
<tr><th>मद</th><th>वित्तीय वर्ष 2022–23 में पुनरीक्षित प्राविधान (रूपये करोड़ में)</th></tr>
<tr><td>प्राधिकरण द्वारा विकसित योजनाओं को नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरण</td><td>50.00</td></tr>
<tr><td>मशीनरी, संयत्र/हल्के/ भारी वाहनों का क्रय</td><td>1.30</td></tr>
<tr><td>कार्यालय भवन एवं रख–रखाव</td><td>2.25</td></tr>
<tr><td>विविध व्यय</td><td>4.50</td></tr>
<tr><td>कम्प्यूटर रख–रखाव</td><td>0.75</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td><table><tr><td>कानपुर रोड, सेक्टर– आई, जे एवं एल में विद्युतीकरण</td><td>0.75</td></tr><tr><td>कबीर नगर देवपुर पारा विद्युतीकरण</td><td>5.00</td></tr><tr><td>गाड़ियों के किराये पर व्यय</td><td>2.00</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>176/12</td><td>प्राधिकरण के व्यवसायिक सम्पत्तियों में 1.5 अधिक एफ0ए0आर0 में अंश हेतु व्यवसायिक भूमि के दर में निर्धारण के सम्बन्ध में।</td><td>प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या–462/आठ–3–16–34विविध/08 दिनांक 17.06.2016 के प्रस्तर–3.5.2.4 एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथा संशोधित 2011/2016) में निहित क्रय योग्य एफ0ए0आर0 शुल्क की गणना, जो निम्नवत् है, के अनुसार प्राधिकरण के दिनांक 01.12.2022 को अबिक्रीत/अनिस्तारित सम्पत्तियाँ, जिनका एफएआर में जो 1.5 से अधिक है, में उसके अंश हेतु शासनादेश में निर्धारित गुणांक के अनुसार किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया:–<table><tr><th>भू–उपयोग श्रेणी</th><th>प्रस्तावित गुणांक</th></tr><tr><td>वाणिज्यिक</td><td>0.50</td></tr><tr><td>मिश्रित</td><td>0.45</td></tr><tr><td>कार्यालय/संस्थागत</td><td>0.45</td></tr><tr><td>होटल</td><td>0.40</td></tr><tr><td>आवासीय (ग्रुप हाउसिंग)</td><td>0.40</td></tr><tr><td>सामुदायिक तथा सामजिक सुविधाएं एवं अवस्थापनाएं</td><td>0.20</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>176/13</td><td>लखनऊ विकास प्राधिकरण की निर्मित रिक्त व्यवसायिक सम्पत्तियों की आरक्षित दर को फ्रीज किये जाने के सम्बन्ध में।</td><td>सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण की निर्मित रिक्त व्यवसायिक सम्पत्तियों की आरक्षित दर को 01 वर्ष (दिसम्बर, 2022 से नवम्बर, 2022 तक) हेतु फ्रीज किये जाने विषयक प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।</td></tr>
<tr><td>176/14</td><td>गोमती नगर विस्तार योजना, सेक्टर–4 के अन्तर्गत समायोजित भूखण्ड संख्या–4/385–एस, सक्षम स्तर से अनुमोदित न होने के कारण समायोजन निरस्त कर जमा धनराशि ब्याज सहित वापस करने का निर्णय तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा लिया जा चुका है। अतः आवंटी के पक्ष में आवंटन को पुनर्जीवित कर निबन्धन की कार्यवाही करने अथवा प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 27.09.2022 में विषय संख्या–175/21 में आवंटित/विवादित सम्पत्तियों के समायोजन के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय में अंकित विकल्पों पर आवंटी की सहमति प्राप्त कर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।</td><td>सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा विधान सभा की मा0 याचिका समिति के समक्ष विचाराधीन प्रकरण गोमती नगर विस्तार योजना, सेक्टर–4 के अन्तर्गत समायोजित भूखण्ड संख्या–4/385–एस, सक्षम स्तर से अनुमोदित न होने के कारण समायोजन निरस्त कर जमा धनराशि ब्याज सहित वापस करने का निर्णय तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा लिया जा चुका है। अतः आवंटी को प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 27.09.2022 में विषय संख्या–175/21 पर आवंटित/विवादित सम्पत्तियों के समायोजन के सम्बन्ध में लिये गये निम्नांकित निर्णय में अंकित विकल्पों पर आवंटी की सहमति प्राप्त कर कार्यवाही किये जाने विषयक प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया:–</td></tr>
</table>

		1. किसी चूक अथवा विवाद के कारण पूर्व से आवंटित भूमि/भूखण्ड का समायोजन भूखण्ड में नहीं किया जायेगा। 2. यदि प्राधिकरण की किसी चूक अथवा विवाद के कारण आवंटित सम्पत्ति (भवन /भूखण्ड) का कब्जा प्राधिकरण नहीं दे पाता है, तो आवंटी की सहमति के आधार पर पहले आओ, पहले पाओ योजना के अन्तर्गत उपलब्ध फ्लैट को समायोजन के समय लागू मूल्य पर प्राधिकरण द्वारा समायोजित किया जा सकेगा। 3. आवंटी के द्वारा जमा धनराशि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित Marginal Cost of Fund Based Lending Rate (MCLR) दर पर आगणित करते हुए समायोजित किये जाने वाले फ्लैट में समयोजित कर दी जायेगी। 4. यदि आवंटी भवन/भूखण्ड का पहले आओ, पहले पाओ योजनान्तर्गत फ्लैट में समायोजन नहीं चाहता है, तो उसे स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित Marginal Cost of Fund Based Lending Rate (MCLR) दर पर आगणित करते हुए उसे वापस कर दिया जाय।
176/15	जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र को पूर्ण कर संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र परियोजना को पूर्ण कर संचालित किये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत् प्रस्ताव शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया:– 1. शासन द्वारा गठित जेपीएनआईसी सोसाइटी को भंग करते हुए जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र के संचालन हेतु प्राधिकरण बोर्ड को अधिकृत कर दिया जाय। 2. जेपीएनआईसी सोसाइटी व परियोजना के संचालन हेतु मेसर्स फॉरच्यूना फाउन्डेशन इंजीनियर्स एण्ड कन्सल्टेन्ट प्रा0लि0 से किये गये अनुबन्ध को निरस्त कर दिया जाय। 3. परियोजना को पूर्ण किये जाने हेतु लम्बित देयता तथा अवशेष कार्यों हेतु आवश्यक धनराशि को निजी संचालनकर्ता के दायित्वों में सम्मिलित करते हुए As is where is के आधार पर Expression of Intrest (EOI) आमंत्रित कर लीज व रेवेन्यू शेयरिंग बिजनेस मॉडल के आधार पर निजी सहभागी संस्था का चयन करते हुए शासन से स्वीकृति प्राप्त की जाय। शासन से स्वीकृति प्राप्त करते हुए इसे पूर्ण कर प्राधिकरण द्वारा संचालित कराया जाय।

		4. जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र परियोजना को निजी सहभागिता के आधार पर पूर्ण कर संचालित कराये जाने हेतु Standard Operating Procedure (SOP) निर्धारित करने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड को अधिकृत कर दिया जाय।
176/16	पुराना लखनऊ हुसैनाबाद क्षेत्र के समेकित विकास की परियोजना के अन्तर्गत म्यूजियम एवं फूडकोर्ट ब्लाक के निर्माण कार्य में हो रहे वृद्धि को समेकित विकास कार्य की परियोजना के अन्य कार्यों में बचत धनराशि से कराये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
176/17	मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या–22037/2017, सं0–8016/202022 (एस0एल0पी0 (सी) संख्या–22037/2017) एस0के0 मेहरोत्रा बनाम लखनऊ विकास प्राधिकरण व अन्य में ग्राम–बरगवां, लखनऊ की खसरा संख्या–1416 रकबा 0–5–5–0 बीघा भूमि के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 31.10.2022 मात्र उक्त प्रकरण के लिए ही मान्य एवं प्रभावी है, उक्त आदेश किसी अन्य प्रकरण के लिए नजीर नहीं माना जायेगा। उक्त आदेश का अनुपालन कराने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
176/18	सिंचाई एवं जल संस्थान अनुभाग द्वारा गोमती रिवर फ्रंट चैनलाईजेंशन परियोजना के औद्यानिक विकास एवं अनुरक्षण कार्य हेतु उपलब्ध कराई गयी धनराशि के व्यय होने के उपरान्त औद्यानिक अनुरक्षण कार्यों की निरन्तरता बनाये रखने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सिंचाई एवं जल संस्थान अनुभाग द्वारा गोमती रिवर फ्रंट चैनलाईजेंशन परियोजना के औद्यानिक विकास एवं अनुरक्षण कार्य हेतु उपलब्ध कराई गयी धनराशि के व्यय होने के उपरान्त औद्यानिक विकास व अनुरक्षण, विद्युत आपूर्ति, प्रकाश एवं सुरक्षा व्यवस्था संचालन हेतु पीपीपी मोड पर किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। साथ ही प्रस्तावित कमेटी में एडीएम–टीजी व प्राधिकरण बोर्ड के 01 सदस्य को भी सम्मिलित किये जाने के निर्देश दिये गये है।
176/19	भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथासंशोधित 2011/2016) 2008 के अध्याय 3 में 3.11 के अन्तर्गत नया बिन्दु "3.11.11–भवनों में आन्तरिक विद्युत सुरक्षा" को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन को बाईलाज में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।

176/20	लखनऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत अनुमन्य एफ0ए0आर0 के मानक संशोधित करने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा लखनऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत अनुमन्य एफ0ए0आर0 के मानक संशोधित करने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्देश दिये गये कि निर्मित क्षेत्र/विकसित क्षेत्र एवं नए/अविकसित क्षेत्र हेतु पूर्व प्राविधानित क्रय योग्य एफएआर एवं प्रस्तावित एफएआर के प्रभाव का पुनः परीक्षण कर सुविचारित प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
176/21	राजधानी लखनऊ की महत्ता के दृष्टिगत गोमती नगर विस्तार योजना (सी0बी0डी0) में सर्वसुविधायुक्त विश्वस्तरीय कन्वेंशन सेन्टर का निर्माण।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
अनुपूरक 176/01	श्री संजय कुमार, अवर अभियन्ता द्वारा पत्नी की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
अनुपूरक 176/02	अति विशिष्ट व्यक्तियों (जेड श्रेणी के उच्च श्रेणी सुरक्षा प्राप्त) हेतु 16, माल एवेन्यू लखनऊ में चौड़ाई में छूट प्रदान करने तथा अति विशिष्ट महानुभाव की सुरक्षा व्यवस्था हेतु सुरक्षा कार्मिकों की ड्यूटी स्थल के निर्माण की अनुमति प्रदान करने के संबंध में।	सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लखनऊ महायोजना–2031 में निर्दिष्ट सुरक्षा जोन में प्रश्नगत प्रकरण में सेटबैक की चौड़ाई एवं भवन की ऊंचाई में छूट का प्रस्ताव शासन को निर्णय हेतु संदर्भित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त की गयी।

(पवन कुमार गंगवार)
सचिव, ल0वि0प्रा0,
लखनऊ।

(डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी)
उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0,
लखनऊ।

अनुमोदित

(डा0 रोशन जैकब)
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।